


20.12.22

पत्रावली वेअ हुई। वकील प्रार्थी / वकील द्वारा
तलबी आदिनांके तक पूर्ण नहीं करवाली गयी
है। पत्रावली मई 22 से तलबी में लाम्बित
है। अनेक अवसर दिये जा चुके हैं। अब
पत्रावली अंतर्गत 0-9 R-5 जाणा डीकरी
के तहत एतद्वारा तलबी आभाव में रखाजि
की जाती है। पत्रावली फौसल सुमार होकर
नंबर से कम की जाकर दायिल दफ्तर ही
निर्णय खुले - मामालय में सुनाया जाया।
मेरे हस्ताक्षर व - मामालय मुद्रा से जारी किया

जाया 

सहायक कलेक्टर
सांभर लोक (जयपुर)

